


समाहरणालय, गोड्डा।

(जिला समाज कल्याण शाखा)

-: कार्यालय आदेश :-

इस कार्यालय के ज्ञापांक 1332 दिनांक 28.9.15 के द्वारा गोड्डा जिला के बाल विकास परियोजना- पोडैयाहाट हेतु 285, गोड्डा ग्रामीण हेतु 280 एवं सुन्दरपहाड़ी हेतु 124 आंगनबाड़ी केंद्रों में अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका-सह पोषण परामर्शी का चयन हेतु दिनांक 12.10.2015 से 19.10.2015 तक ग्राम सभा में आवेदन प्राप्त किये जाने का निदेश प्रसारित था। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु अधिसूचना प्रसारित किये जाने के उपरांत आदर्श आचार संहिता लागू होने की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग से उक्त ग्राम सभा को सम्पन्न करने के संबंध में मार्गदर्शन मांगी गई थी।

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 2607, राँची, दिनांक 10.10.2015 द्वारा यह सूचित किया गया है कि अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका -सह- पोषण परामर्शी का चयन आदर्श आचार संहिता, 2015 की कंडिका 2.20 के अन्तर्गत आता है। अतः इस पर असहमति संसूचित किया गया है। तदनुसार अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका -सह- पोषण परामर्शी के चयन हेतु दिनांक 12.10.2015 से 19.10.2015 तक सम्पन्न होने वाली ग्राम सभा के कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है।



उपायुक्त,

गोड्डा।

ज्ञापांक-.....1434...../जि0स0क0

गोड्डा/दिनांक-.....11/10/15.....


प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सूचना का प्रकाशन प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के संचाल परगना संस्करण में अविलम्ब करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त कार्यालय आदेश की प्रति गोड्डा जिला के वेबसाईट www.godda.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- निदेशक, समाज कल्याण झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उपविकास आयुक्त, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला-गोड्डा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। सभी संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आदेश की एक-एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत के आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं अपने परियोजना कार्यालय के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करेंगे।



उपायुक्त,
गोड्डा।